

कार्यालय उप वन संरक्षक, अजमेर

क्रमांक:-एफ14()एफसीए/उवसं/2016-17/ 9598

दिनांक :- 22.8.17

निमित्त,

जिला कलक्टर,
अजमेर।

विषय:- Regarding Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (STOTFD) Certificate for 4.47 hactare forest land for "Widening and Curve Improvement on Existing Road Alignment between existing chainage 17.350 km to 19.600 km of Kishangarh Hanumangarh Mega Highway Project village Chakbeer, Tehsil Roopangarh, Distt. Ajmer Rajasthan.

संदर्भ:- आपके कार्यालय का पत्रांक कअ/राजस्व/17/7582 दि.02.06.2017 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन हैं कि सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रकरण में वनभूमि के बदले 4.47 हैक्टर गैर वनभूमि पीसांगन के ग्राम सवाईपुरा तहसील पीसांगन के खसरा नम्बर 754 रकबा 19.44 हैक्टर किस्म बारानी 3 में से 4.47 हैक्टर सिवायचक भूमि प्रत्यावर्तन किये जाने हेतु वन विभाग का सहमति पत्र चाहे जाने पर प्रकरण में क्षेत्रीय वन अधिकारी, पुष्कर के पत्रांक 1302 दिनांक 18.08.2017 द्वारा अवगत कराया गया हैं कि आवंटित की जाने वाली 4.47 हैक्टर गैर वनभूमि वृक्षारोपण एवं प्रबन्धीय दृष्टि से उपयुक्त पायी गई हैं।

अतः ग्राम सिवायपुरा ग्राम सवाईपुरा तहसील पीसांगन के खसरा नम्बर 754 रकबा 19.44 हैक्टर किस्म बारानी 3 में से 4.47 हैक्टर गैर वनभूमि इस कार्यालय को आवंटित कराने का श्रम करें ताकि प्रकरण में नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

भवदीय

(अजय चित्तौड़ा)

उप वन संरक्षक

अजमेर